संख्या-455/2023/1557/22-2-2023-17(393)/2018

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 2023

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम पुत्र सद्दीक उर्फ सद्दा, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14573/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.05.2023) दिनांक-05.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम पुत्र सद्दीक उर्फ सद्दा, ग्राम-कला मोहम्मदपुर, थाना-थरियांवा, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा के भाई सलीम को कला मोहम्मदपुर में किसी ने गोली मार दी, जिसका मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखाया गया। अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा को शक था कि उसके भाई सलीम को गोली वादी के भान्जे ने मारा है। इसी रंजिश में दिनांक 07.08.2006 को समय करीब 11:30 बजे दिन में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मार कर वादी के भान्जे कल्लू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-771/2006 व 772/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-2, फतेहपुर के आदेश दिनांक 12.06.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 18.04.2022 तक 15 वर्ष 08 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पीड़ित पक्ष बदले की भावना से ग्रसित है, बन्दी का जेल में निरूद्ध रहना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा को शक था कि उसके भाई सलीम को गोली वादी के भान्जे ने मारा है। इसी रंजिश में दिनांक 07.08.2006 को समय करीब 11:30 बजे दिन में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मार कर वादी के भान्जे कल्लू को हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शमीम पुत्र सद्दीक उर्फ सद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम (बन्दी संख्या-118/2018) पुत्र श्री सद्दीक उर्फ सद्दा, निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-455/2023/1557(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-455/2023/1557/22-2-2023-17(393)/2018

दिनांक 26 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम पुत्र सद्दीक उर्फ सद्दा, ग्राम-कला मोहम्मदपुर, थाना-थरियांवा, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा के भाई सलीम को कला मोहम्मदपुर में किसी ने गोली मार दी, जिसका मुकदमा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लिखाया गया। अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा को शक था कि उसके भाई सलीम को गोली वादी के भान्जे ने मारा है। इसी रंजिश में दिनांक 07.08.2006 को समय करीब 11:30 बजे दिन में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मार कर वादी के भान्जे कल्लू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-771/2006 व 772/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-2, फतेहपुर के आदेश दिनांक 12.06.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 18.04.2022 तक 15 वर्ष 08 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पीडित पक्ष बदले की भावना से ग्रसित है, बन्दी का जेल में निरूद्ध रहना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्तगण शमीम, वसीम उर्फ बऊरा को शक था कि उसके भाई सलीम को गोली वादी के भान्जे ने मारा है। इसी रंजिश में दिनांक 07.08.2006 को समय करीब 11:30 बजे दिन में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से गोली मार कर वादी के भान्जे कल्लू की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शमीम पुत्र सद्दीक उर्फ सद्दा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in